आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश
(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)
जय प्रकाश अस्पताल, आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल भोपाल

क्रमांक/सी.ई.ओ./ए.बी./2025/6084 **भोपाल, दिनांक** २३/०९**/2025**

-- आदेश --

आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने हेतु, प्रदेश में पंजीबद्ध महानगरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर) के चिकित्सालयों क़ी योजनांतर्गत संबद्धता के संबंध में राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक 13/08/2025 को आयोजित बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

1. महानगरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर) में योजनांतर्गत चिकित्सालयों की संबद्धता केवल उन्हीं चिकित्सालयों को प्रदान की जाएगी, जिनके पास **NABH Entry Level Quality Certificate** मान्यता होगी।
2. वर्तमान में योजनांतर्गत संबद्ध चिकित्सालयों को जिनके पास **NABH Entry Level** है, दिनांक 01.10.2025 से आगामी 06 माह (31.03.2026 तक) की अवधि प्रदान की जाती है, जिसके भीतर उन्हें **NABH Final Level Quality Certificate** प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरांत परीक्षण उपरांत केवल पात्र चिकित्सालयों को योजनांतर्गत संबद्ध रखा जाएगा। जिन चिकित्सालयों के पास उपरोक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होगा, उनकी संबद्धता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी।
4. दिनांक 01.04.2026 से केवल वही नवीन चिकित्सालय को योजनांतर्गत संबद्धता प्रदान की जावेगी जिनके पास **NABH Final Level Quality Certificate** प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा।
5. जिन चिकित्सालयों के पास NABH प्रमाण पत्र नहीं है, उनको 6 माह में **NABH Final Level Quality Certificate** लेना आवश्यक है ।

अतः समस्त चिकित्सालयों को निर्देशित किया जाता है कि नियत समयावधि में आवश्यक मान्यता/प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित दस्तावेज़ इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत "निरामयम्"
म.प्र.